

प्रकरण संख्या :-24 / 2024

प्रकरण दायर दिनांक:- 15.03.2024

प्रकरण निर्णय दिनांक:- 09.04.2024

उन्वान - सरकार बनाम कमलेश देवी व अन्य
राजस्व ग्राम रामपुरा गूजरान स्थित खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को
राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत।

निर्णय दिनांक:-09.04.2024

तहसीलदार बाँदीकुई के पत्र क्रमांक/भूअ./2024/256 दिनांक: 14.03.2024 द्वारा राजस्व ग्राम रामपुरा गूजरान स्थित खातेदारी भूमि खसरा नं. 757 एवं 759 में से प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गै. मु. रास्ता दर्ज करने बाबत प्रस्ताव पेश किया गया है। प्रस्ताव की ताईद में उप तहसीलदार (भूअ.) आभानेरी, भूअ. निरीक्षक आभानेरी एवं पटवारी हल्का बिवाई मौका फर्द (मौका पर्चा) दिनांक: 07.03.24, राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2073-76 ग्राम रामपुरा गूजरान खाता सं. नया 7 पुराना 7, संलग्न नक्शा ट्रेस जिसमें लाल स्याही से प्रस्तावित रास्ते को प्रदर्शित किया गया है, प्रस्तुत की है। उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।

प्राप्त प्रस्ताव दर्ज कर तलबी अप्रार्थीगण/खातेदारान जर्ज नोटिस विधिवत की गई। अप्रार्थीगण/खातेदारान बावजूद जर्ज नोटिस तामील उपस्थित नहीं। हमने प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रार्थी/पैरोकार सरकार को एकपक्षीय सुना। तहसीलदार बाँदीकुई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संलग्न उप तहसीलदार (भूअ.) आभानेरी, भूअ. निरीक्षक आभानेरी एवं पटवारी हल्का बिवाई मौका फर्द (मौका पर्चा) दिनांक: 07.03.24, राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया। प्रस्ताव में संलग्न मौका पर्चा के अनुसार प्रस्तावित भूमि में से मौके पर सी.सी. रोड चालू है। प्रस्ताव में उक्त खातेदारी भूमि में से गै. मु. रास्ता दर्ज करने बाबत निवेदन किया है। अतः प्राप्त प्रस्ताव, संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस के अवलोकन के आधार पर प्रस्तावित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार बाँदीकुई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर राजस्व ग्राम रामपुरा गूजरान स्थित खातेदारी भूमि खाता सं. नया 07 पुराना 07 के खसरा नं. 757 रकबा 0.27 हैक्ट. में से 0.0288 हैक्ट. एवं खसरा नं. 759 रकबा 0.23 हैक्ट. में से 0.0172 हैक्ट. भूमि संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से प्रदर्शित प्रस्तावित के अनुसार गै. मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रस्तावित रास्ते की खातेदारी उक्त खाते में यथावत रहेगी। तहसीलदार बाँदीकुई नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। पालना हेतु तहसीलदार बाँदीकुई को तहरीर जारी हो। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

अप

(रामसिंह राजावत)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

बाँदीकुई

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2024/119

जज अदालत

कलेक्टर

मुकाम

बांदाकुई

सरकार

बनाम

जमकी 85 डी व क्षम

किस्म मुकदमा

151 लीड रिपोर्ट अहकाम

24 तन 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15/11/24	<p>तहसीलदार बांदाकुई डाय मीने पर चालू रास्ते को राज्य रिपोर्ट में कंकन करने हेतु उस्ताव पेश किया। उस्ताव/उकत इफ रिपिस्टर को तलबी फाजमीगण स्वातरायन जर्न नोटिस की जाकर फनावली दि 01/11/24 को पेश हो</p>	
02/11/24	<p>फनावली पेश हुई। जामी पेशकार सरकार कपरा फाजमीगण/स्वातरायन तलबी नोटिस काउ तामील जाए। स्वातरायन कपारहित नही। उस्तुत उस्ताव पर जामी/पेशकार सरकार को कपफमील हुन। तहसीलदार बांदाकुई डाय उस्तुत उस्ताव एवं संलग्न दस्तावेजों का फवलबन किया गला। मुलावेक मीका रिपोर्ट मीने पर सी.सी. शेडकन हुकाई उस्तावित रास्ता राज्य रिपोर्ट में दर्ज नही है फतः तहसीलदार बांदाकुई डाय उस्तुत उस्ताव एवं संलग्न दस्तावेजों के कपन वैन के फास्थार पर उस्तावित रास्ते को राज्य रिपोर्ट में दर्ज किये जाते के फाउम डिफेकते है उस्तावित रास्ते की स्वातरारी कभावत रहेगी। विस्तृत मिकील पुस्तकसे लिखा जाकर शामिल फनावली किया गला। फालग हेतु तहसीलदार बांदाकुई को तहसीर जारी हो। फनावली फाजमीगण डायर काउ तामील शामिल दफतर हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी

बांदाकुई

01/11/24

उपखण्ड अधिकारी
बांदाकुई